न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2021-274RAAJodhpur2021-145RTA225 Radhika Agrawal ors Vs Bhairaram etc

01. श्रीमती राधिका अग्रवाल पत्नी श्री अभिनव अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी- बी-1, शास्त्रीनगर, जोधपुर।
02. श्रीमती मन्जू अग्रवाल पत्नी श्री सुशील अग्रवाल, जातिं अग्रवाल, निवासी- बी-1, शास्त्री नगर, जोधपुर।
03. अभिनव अग्रवाल पुत्र श्री सुशील अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी- बी-1, शास्त्री नगर, जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. भैराराम पुत्र श्री हेमाराम, जाति मेघवाल, निवासी- ग्राम चाखू, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 05 मई 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 24/2021 भैराराम बनाम श्रीमती राधिका अग्रवाल इत्यादि

उपस्थित-
श्री महिपाल सिंह, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री नवीन शर्मा, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 02

नि र्ण य

दिनांक : 11 नवंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 24/2021 भैराराम बनाम श्रीमती राधिका अग्रवाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 05 मई 2021 के खिलाफ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 05 अगस्त 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी मूल खसरा नं. 75 रकबा 18.13 बीघा के संबंध में एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी की किस्म परिवर्तित हो चुकी है तथा मौके पर भूखण्ड काटे जाकर पट्टे जारी किये हुए है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्य उठाये जाने के बावजूद अपीलाधीन आदेश का निरस्त नहीं किया गया। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया किया कि वादग्रस्त आराजी की किस्म परिवर्तित होने से मामला राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं बनता है। रेस्पोडेंट्स द्वारा पूर्व में राजस्व वाद संख्या 43/2013 एवं 54/2013 अनवान शांतिदेवी बनाम जीवनदास इत्यादि में राजीनामा प्रस्तुत कर वाद जरिये विड्रो खारिज करवाये गये थे। पूर्व पक्षकारान् द्वारा प्रतिफल प्राप्त कर राजीनामा से वाद खारिज करवाये जाने के बावजूद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वर्तमान में नया कायम मुकाम संयोजित कर वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों एवं तथ्यो का कंसीडर ही नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 05 मई 2021 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे तथा प्रार्थी/रेस्पो. संख्या एक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट की खरीदसुदा खातेदारी की भूमि है तथा रेस्पोडेंट मौके पर काबिज है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला रेस्पोडेंट संख्या एक के पक्ष मे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक स्व. रामपाल के वारिसान् द्वारा अपीलाधीन विवादग्रस्त खसरान् के संबंध में पूर्व वाद संख्या 54/2012 अनवान शांतिदेवी बनाम जीवादास व अन्य एवं प्रार्थना पत्र संख्या 43/2013 अनवान शांतिदेवी बनाम जीवादास व अन्य में दिनांक 14.05.2014 को वाद एवं प्रार्थना पत्र जरिये राजीनामा विड्रो खारिज किया गया था। उपलब्ध नामांतरकरण के मुताबिक नामांतरकरण संख्या 863 दिनांक 27.09.2013, 861 दिनांक 12.02.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2007, 904 दिनांक 27.04.2007 के अनुसरण में विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 75/4, 75/1,75/18,75/14,75/15 नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई। तथा नामांतरकरण संख्या 870 दिनांक 24.06.2014 के जरिये खसरा नं. 75/18 रकबा 1.01 बीघा जोधपुर विकास प्राधिकारण के नाम से दर्ज हुई। नगर सुधार न्यास जोधपुर एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि की किस्म परिवर्तन करवाकर भूखण्डों के पट्टे जारी किये जा चुके है, जिनमें से कतिपय पत्रावली में रिकॉर्ड पर है। राजस्व न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में केवल कृषि भूमि के संबंध में वाद सुनने का क्षेत्राधिकार है। रेस्पोडेंट्स द्वारा पूर्व तथ्यों को छुपाकर वाद पेश किया गया है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही पाय जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत है। विचारण न्यायालय के में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना शेष है। लिहाजा मामला निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 24/2021 भैराराम बनाम श्रीमती राधिका अग्रवाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 05 मई 2021 को अपास्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मामले में सुनवाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के क्षेत्राधिकार के बिंदु को निर्धारित करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर